

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना उनवानी भादर आदि बनाम चौथमल आदि मु.सं. 318/2017	नम्बर व तारीख अहक की तानील में जारी हुए
08-10-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। वकूलाय की प्रकरण में पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10, 11 सी.पी.सी पर बहस सुनी गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकूलाय की बहस पर सगौर मनन किया गया। ग्राम तिगरी पटवार हल्का बिहार तहसील पाटन में स्थित खसरा नम्बर 118 रकबा 0.62 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 121 रकबा 0.18 हैक्टेयर में प्रतिवादी के नाम दर्ज खातेदारी का अंकन अनुचित है एवं अपील न्यायालय के निर्णय के क्रम में राजस्व अभिलेख से हटाये जाने योग्य है। नकल जमाबन्दी सम्बत 2057 से 2060 में आराजी उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी भादर, रामजीलाल, लीलाराम पिता प्रभातीलाल हिस्सा 1/2, मातादीन पुत्र गोपी हिस्सा 1/2 दर्ज है। किन्तु एक सहखातेदार को कब्जा नही होने के आधार पर उसकी खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर घोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि:-</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>ग्राम तिगरी पटवार हल्का बिहार तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 118, 121 कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर में भादर, रामजीलाल, लीलाराम पिता प्रभातीलाल हिस्सा 1/2, मातादीन पुत्र गोपी हिस्सा 1/2 को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।</p>	



(राजेंद्र सिंह यादव)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना



डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना

1. भादर पुत्र प्रभातिया जाति यादव निवासी ढाणी हलाला तन श्यामपुरा तहसील पाटन जिला सीकर।

—वादीगण—

बनाम

1. चौथमल दत्तक पुत्र मातादीन जाति यादव निवासी ढाणी हलाला तन श्यामपुरा तहसील पाटन जिला सीकर।


—प्रतिवादीगण—

मुकदमा नम्बर— 318/2017
दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती रिकॉर्ड

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट वादीगण नजानिब मुद्दई रूबरू एवं हाजरी श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह या होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम तिगरी पटवार हल्का बिहार तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 118, 121 कुल किता 2 ल रकबा 0.80 हैक्टेयर में भादर, रामजीलाल, लीलाराम पिता प्रभातीलाल हिस्सा 1/2, तादीन पुत्र गोपी हिस्सा 1/2 को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व कॉर्ड में अमल दरामद हों।

ज.....×.....मुबलिग.....×.....बाबत.....×.....

र्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....×.....फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख अदायगी तक.....×.....को अदा करें। बसख्त मेरे तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 08 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।



मुहर

हस्ताखत
राजवीर सिंह (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.	
स्टाम्प अर्जी दावा	/		स्टाम्प अर्जी दावा	/		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी			
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील			
महनताना वकील			खर्चा गवाहान			
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर			
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय			
बाबत इजराय			हुक्मनामा			
हुक्मनामा			मुतफरिक			
मुतफरिक						
मीजान						

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।